दूरभाष: / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, इलाहाबाद – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad

संदर्भ सं0 G0 1306 / ए-1-120 / 11-12 दिनांक 09.11.11

6279
11-11-11

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–9,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विशय: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंर्तगत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायबरेली–इलाहाबाद तक प्रस्तावित सुधार एवं चौड़ीकरण हेतु जनपद इलाहाबाद के अंर्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24बी (164.000किमी0 से 188.600किमी0 तक) के निर्माणार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.11.2011 को कलेक्ट्रेट इलाहाबाद पर सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एफ92578 / सी–5 / एन0ओ0सी0–586 / 2011 / 2 दिनांक 21.09.2011 का संदर्भ लेना चाहें। उक्त पत्र के अनुपालन में जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थल पर जिलाधिकारी इलाहाबाद के प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी–नजूल की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2011 को लोक सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न करा दी गई है। लोक सुनवाई की कार्यवाही का पूर्ण विवरण लोक सुनवाई के कार्यवृत्त के साथ, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्ड सी0डी0, उपस्थिति पत्रक एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की छाया प्रतियां आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक:यथोपरि

EE (C-9)

भवदीय,

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: सदस्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Manoj
11/11/11

E:\R K PATHAK - STENO\R O\ RO Meeting\Covering Letter

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंर्तगत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायबरेली–इलाहाबाद तक प्रस्तावित सुधार एवं चौड़ीकरण हेतु जनपद इलाहाबाद के अंर्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24बी(164.000किमी0 से 188.600किमी0 तक) के निर्माणार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.11.2011 को कलेक्ट्रेट इलाहाबाद पर सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने सड़क यातायात को कुशल व सुरक्षित बनाने के लिये विभिन्न राजमार्ग की क्षमता का विस्तार एवं चौड़ाई बढ़ाने का निश्चय किया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में एन0एच–24बी एक राजमार्ग जो रायबरेली–इलाहाबाद के बीच है। इस सड़क परियोजना का आरम्भ एन0एच–24बी के कि0मी0–82 रायबरेली से होता है तथा एन0एच024बी के कि0मी0188.600 पर मलाकहरहर चौक पर एन0एच096 के साथ जंक्शन, इलाहाबाद पर खत्म होती है। यह सड़क परियोजना सड़क के आस–पास स्थित 61 गांव से गुजरती है। एन0एच024बी, एन0एच096 तथा राजमार्ग 36 जोकि आगे चलकर यू0पी0 के दूसरे शहरों को जोड़ते हैं के लिये सम्पर्क प्रदान करता है। परियोजना का मुख्य उदेश्य सड़क की वर्तमान स्थिति में सुधार व इसकी क्षमता में बढ़ोत्तरी करना है ताकि यातायात को सरल सुरक्षित व सुगम बनाया जा सके। इस उदेश्य को पूरा करने के लिये परियोजना के अंतर्गत कुछ सुधार, पुर्ननिर्माण एवं चौड़ीकरण प्रस्तावित है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पहले लोक सुनवाई कराने का प्रावधान है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफीकेशन 2006 के अनुरूप किया जाना होता है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक– एफ 92578/सी–5/एन0ओ0सी0/586/2011/2 दिनांक 21.09.2011 द्वारा दिनांक 04.11.2011 को लोक सुनवाई कराने हेतु सहमति देने का अनुरोध किया गया। तत्कम में जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा दिनांक 04.11.2011 को प्रातः 2:00 बजे कलेक्ट्रेट इलाहाबाद के संगम सभागार में लोक सुनवाई कराने हेतु निर्धारित किया गया एवं अपर जिलाधिकारी–नजूल, इलाहाबाद को लोक सुनवाई में अपना प्रतिनिधि नामित किया गया। उक्त लोक सुनवाई दिनांक 04.11.2011 को कलेक्ट्रेट, इलाहाबाद पर सम्पन्न हुयी। उक्त लोक सुनवाई की सूचना क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा जिला इलाहाबाद में वितरित एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं टाइम्स आफ इण्डिया) में दिनांक 04.10.2011 में प्रकाशित करवाया गया। जिसके माध्यम से जन साधारण को सूचित केन्द्रों पर दिनांक 03.11.2011 के अंदर सुझाव/आपत्तियां प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित अवधि में प्रस्तावित स्थल के संबंध में प्रस्ताव पर कोई लिखित आपत्ति/मौखिक सुझाव किसी भी सूचित केन्द्र के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए।

दिनांक 04.11.2011 को उक्त स्थल पर पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया श्री पी0के0 अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (नजूल),इलाहाबाद की अध्यक्षता में संचालित की गई जिसमेंक्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 मो0 सिकन्दर, सहा0वैज्ञा0 अधिकारी, डॉ0 ए0के0 सिंह, सहा0पर्या0 अभियंता, इं0 मनोज कुमार,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद, श्री बी0पी0 पाठक प्रबंधक (तकनीकी) भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली, श्री बी0के0 बनाती, टीम लीडर, वी0एस0पी0एल0 श्री अभिषेक तिवारी, प्रबंधक, वी0एस0पी0एल0, श्री शैलेन्द्र यादव, पर्यावरण अभियंता, वी0एस0पी0एल0, श्री बी0बी0 सिंह, परियोजना प्रबंधक,

रा0इ0हा0प्रा0लि0, एवं श्री ओमप्रकाश सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद उपस्थित रहे।

दिनांक 04.11.2011 की लोक सुनवाई की प्रकिया का शुभाराम्भ क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के वक्तव्य के द्वारा किया गया। उन्होने रायबरेली से इलाहाबाद के विकसित करने की परियोजना पर प्रकाश डालते हुए इसे जनउपयोगी एवं महत्वपूर्ण परियोजना बताया। लोक सुनवाई के दौरान उक्त प्रस्तावित परियोजना के बारे में वायंट सौल्यूशन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि श्री शैलेन्द्र यादव द्वारा स्लाइड्स के माध्यम से परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उक्त परियोजना इलाहाबाद क्षेत्र के 27 गॉवों से गुजरेगी। इसके विस्तार से लगभग 4800 वृक्षों को काटा जायेगा एवं इसका तीन गुना वृक्षारोपण किया जायेगा। इस परियोजना हेतु इलाहाबाद क्षेत्र का लगभग 8.7 हेक्टेयर भूनि का अधिग्रहण किया जायेगा। उक्त सम्पूर्ण भूमि कृषि भूमि है, इसमें वन इत्यादि सम्मिलित नहीं है। निर्माण अवधि के दौरान सभी पर्यावरणीय समस्याओं/मानकों को ध्यान में रखा जायेगा।

सुनवाई के दौरान विभिन्न स्वंय सेवी संस्थाओं के सदस्य, आस–पास के ग्रामों के प्रधान एवं अन्य निवासीगण उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव व्यक्त किये।

1. श्री आशुतोष सिंह, बेनीगंज इलाहाबाद द्वारा सड़क के दोनो तरफ बेरीकेटिंग की व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया जिसके उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि आबादी वाले क्षेत्र में सड़क के दोनो तरफ सर्विस रोड की व्यवस्था एवं फुटपाथ की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा।
2. श्री राजाराम, मंसूराबाद, इलाहाबाद द्वारा प्रश्न पूछा गया कि सड़क के निर्माण हेतु कितनी चौड़ी जमीन अधिग्रहित की जायेगी, के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण हेतु विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार 12मी0 से 15 मीटर एवं बाईपास हेतु 45 मी0 भूमि की आवश्यकता होगी।
3. श्री शिव वरदान सिंह, कौड़िहार, इलाहाबाद, द्वारा प्रश्न पूछा गया कि सड़क के निर्माण हेतु कितनी चौड़ी जमीन अधिग्रहित की जायेगी, के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण हेतु विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार12मी0 से 15 मीटर एवं बाईपास हेतु 45 मी0 भूमि की आवश्यकता होगी।
4. श्री संगम लालजी , श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में क्या सुविधाऍ प्रदान की जायेगी के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे सड़क के दोनो तरफ 2.5–2.5मी0 भूमि छोड़ी जायेगी जिसमें 1.5–1.5मी0 पक्की एवं 01–01 मी0 कच्ची होगी। ट्रक बाईलेन्स, यात्री शेड, ड्रेनेज सिस्टम तथा एम्बूलेंस की व्यवस्था प्रदान की जायेगी।
5. श्री पुत्तन, कौड़िहार, इलाहाबाद, द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में बाई–पास की सुविधा दी जायेगी? यदि हॉ तो कहॉ से कहॉ तक? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे इलाहाबाद जनपद में मंसूराबाद बाई–पास होगा जो सिंगरौर, उपरहार, अबदुल्लापुर, फतेहपुर कायस्थान एवं समही ग्रामों से होकर गुजरेगा।
6. श्री गोविन्द जी, लालगोपालगंज, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में वृक्षों को कटवाने एवं लगवाने की जिम्मेदारी किस विभाग की होगी? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे वृक्षारोपण वन–विभाग के माध्यम से कराया जायेगा।

7. श्री अंकित मिश्रा, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में कितने वृक्ष काटे जायेगे एवं कितने लगाये जायेंगे? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत सड़क के विनिर्माण मे लगभग 4800 काटे जायेगें एवं इसके तीन गुना वृक्षारोपण किया जायेगा।
8. श्री दुर्गेश सिंह, माणिकपुर, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक बनाया जायेगा? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे रायबरेली के 82.000 किमी0 से आरम्भ होकर मलाक हरहर चौक इलाहाबाद 188.600 किमी0 तक निर्मित की जायेगी।
9. श्री बाबूलाल, मुटठीगंज, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में कितने पथकर कार्यालय स्थापित किये जायेंगे? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे कुल दो स्थानों पर टोल/पथकर कार्यालय बनायें जायेंगे जो कमशः बाबूगंज के पास 108.000 किमी0 तथा दूसरा भगवतीपुर से पहले 186.000 पर स्थापित होंगे।
10. श्री राहुल यादव, फाफामऊ द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में वृक्षारोपण कब किया जायेगा? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण के साथ ही वृक्षारोपण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
11. श्री रविशंकर यादव, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में पैदल चलने वालों के लिए क्या सुविधाएँ प्रदान की जायेगी? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे सर्विस रोड एवं नालों के ऊपर फुटपाथ का निर्माण किया जायेगा।
12. श्री शिवपूजन, ग्राम अहरामपुर, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में नवाबगंज के आस–पास रोड का कितना चौड़ीकरण किया जायेगा जिससे यातायात में कोई व्यवधान न हो के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे निश्चित भू–भाग हेतु इसकी संरचना बताना कठिन है परन्तु आई0आर0सी0 की डिजाईन एवं यातायात के अनुसार सड़क का चौड़ीकरण किया जायेगा। रायबरेली कार्यालय से उक्त जानकारी निश्चित भूभाग के संबंध में प्राप्त की जा सकती है।
13. श्री रामदेव त्रिवेदी, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में सड़क चौड़ीकरण में क्या डिवाडर का निर्माण किया जायेगा? एवं सड़क की पटरी एवं ग्राम के खेतों के संबंध में क्या विचार है? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सडक के विनिर्माण मे फोर–लेन पर डिवाइडर का निर्माण किया जायेगा।
14. श्री धर्मराज यादव, भगवतीपुर, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में आबादी वाले क्षेत्र में जल निकासी की क्या व्यवस्था की जायेगी? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे कंक्रीट नालियॉ बनाये जाने का प्राविधान है।
15. श्री उपेन्द्र सिंह, फाफामऊ द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में कितने वृक्षों को काटा जायेगा? एवं कितने लगाये जायेगे? तथा वाहनों की गति सीमा क्या होगी? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे परियोजना के अन्तर्गत कुल 4800 वृक्षों को काटा जायेगा एवं इसके तीन गुना वृक्ष लगाये जायेगे तथा वाहनों की गति सीमा कम से कम–65 किमी0/घण्टे एवं अधिकतम 80 किमी0/घण्टे का प्राविधान है।
16. श्री आशुतोष सिंह, बेनीगंज, इलाहाबाद द्वारा पूछा गया कि इस निर्माण में क्या भूमि अधिग्रहण में मुआवजा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो किस दर पर? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण मे राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर मुआवजे का

भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी शिकायत/समस्या के निपटान हेतु आयुक्त महोदय के कार्यालय में अपील की जा सकती है।

लोकसुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये, लोक सुनवाई हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली–इलाहाबाद तक प्रस्तावित राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधार हेतु जनपद इलाहाबाद के अंर्तगत हाइवे के निर्माण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये, जल,वायु,ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन की शर्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार करने की शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती हैः–

1. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से प्रदूषित जल, वायु, ध्वनि आदि से ग्रामीणों पर कुप्रभाव से बचाने के आवश्यक उपाय किये जाये।
2. परियोजना में सड़क के दोनो तरफ पर्यावरणीय अनुकूल सघन वृक्षारोपण किया जाये। इस संबंध में समस्त कृत कार्यवाही एवं अभिलेख कार्यालय में प्रेषित किये जायें।
3. परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त इकाई/उद्योग से ही प्राप्त की जाये।
4. कशर, बैच मिक्सिंग एवं हाट मिक्सिंग प्लांट इत्यादि की स्थापना बोर्ड से अनापत्ति प्रामाण–पत्र प्राप्त करनें के पश्चात ही स्थापना कार्य किया जाये।
5. परियोजना के निर्माण में वर्षा–जल संचयन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

अन्त में लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी–नज़ूल, इलाहाबाद द्वारा लोक सुनवाई प्रकिया/कार्यकम एवं प्रस्तावित परियोजना पर अनुमोन प्रदान किया गया। उक्त लोक सुनवाई का इ0आई0ए0 नोटिफीकेशन 2006 में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लोक सुनवाई प्रकिया की विडियोग्राफ्ड सी0डी0, उपस्थिति सीट इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4.11.2011

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इलाहाबाद

4.11.11

(पी0 के0 अग्रवाल)
अपर जिलाधिकारी–नजूल,
इलाहाबाद

E:\R K PATHAK - STENO\AE\Nirikshan Akhya